संख्या-23 /2022/आ0मि0-46/005-96 2099-1700-2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0-17201.221 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष राज्यांश की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाईटी, लखनऊ के पत्र संख्या-123/57ई/मि0नि0/2022-23 लखनऊ दिनांक 19 मई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाईटी के वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में धनराशि रू0-911.414 लाख (रूपया नौ करोड ग्यारह लाख इक्तालीस हजार चार सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून , 2022 में उल्लिखित दिशा - निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को आहरित कर डाक घर/ बैंक/डिपोजिट खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, होम्योपैथी एवं मिशन निदेशक का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश मिशन निदेशक/निदेशक, होम्योपैथी द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन / दिशा - निर्देशों में दी गयी शर्तों / प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। किन्ही अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

(5) इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण - पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त किये जा रहे इस राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का कोषागार से आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,11,41,400 (रुपये नौ करोड़ ग्यारह लाख इकतालीस हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 034 **लेखा शीर्षक** 2210051028901 राष्ट्रीय आयुष मिशन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-38/दस-2022-2023, दिनांक-17 जून, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव,

संख्या- 23(1)/2022/ आ0मि0-46/005-96 2099-1700-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाईटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाईटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- श्री शैलेन्द्र कुमार संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव,